

मध्य रेल

अधिसूचना सं.

आरआरसी/सीआर/एए/2025/भाग-II

दिनांक : 10/03/2026



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,

मुख्य परियोजना प्रबंधक (कन्व)

कार्यालय भवन, वाडीबंदर,

पी. डी.मेलो रोड,

मुंबई - 400 010.

अधिसूचना

मध्य रेल द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख और समय	ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तारीख और समय
10/03/2026 (11.00 HRS)	09/04/2026 (17.00 HRS)

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत मध्य रेलवे के अंतर्गत वर्कशॉप/ यूनिटों में निम्नलिखित ट्रेडों में प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण हेतु कुल 51 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से पूरक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन अंतिम तिथि के 17:00 बजे तक केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो उम्मीदवार वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं या ले चुके हैं, वे इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन न करें।

महत्वपूर्ण बिंदु:

1. उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह प्रशिक्षु अप्रेंटिस के लिए एक केंद्रीकृत अधिसूचना है जो मध्य रेलवे के यूनिटों के अंतर्गत आती है, और रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे (आरआरसी/सीआर) को उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और उनकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उम्मीदवार केवल आरआरसी की वेबसाइट www.rccr.com पर अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. मेरिट लिस्ट बनाने के बाद, इसे मध्य रेलवे के संबंधित विभागों/यूनिटों को सूचित किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन उम्मीदवार के आवेदन में उल्लेखित क्लस्टर के अनुसार चुने गए विभागों/यूनिटों में आयोजित किया जाएगा।
3. उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि कोई केंद्रीकृत मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी।

4. चयन प्रक्रिया :

4.1 चयन उन सभी उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिन्होंने इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन किया है। मेरिट सूची मैट्रिक (न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ) + आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। पैनल मैट्रिक और आईटीआई अंकों का साधारण औसत के आधार पर होगा।

मैट्रिकुलेशन के प्रतिशत की गणना के लिए: उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी विषयों के आधार पर गिना जाएगा, न कि किसी विशेष विषय या विषयों के समूह (जैसे "सर्वश्रेष्ठ पाँच" आदि) के आधार पर।

आईटीआई अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए: औसत अंकों की गणना संयुक्त अंकों के विवरण पत्र में उल्लिखित सभी सेमेस्टर्स के अंकों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी अनंतिम राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र में उल्लिखित अंकों को ही माना जाएगा।

मैट्रिक अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केरल सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड आदि के उम्मीदवारों के लिए, RRC उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त ग्रेड के औसत मध्य बिंदु को लेगा। सभी विषयों का औसत प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक विषय की 100 अंकों के आधार पर गणना की जाएगी, क्योंकि इन बोर्डों के लिए कोई मानक विधि या गुणक कारक उपलब्ध नहीं है।

4.2 यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है, तो मैट्रिक परीक्षा पहले उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी।

4.3 अंतिम मेरिट सूची क्लस्टर/यूनिट अनुसार, ट्रेड अनुसार और समुदाय अनुसार तैयार की जाएगी, जो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

4.4 चयनित उम्मीदवारों को अपलोड किए गए मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति निर्धारित प्रोफार्मा में करनी होगी।

5. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान: हर आवेदक को एक पंजीकरण संख्या (Registration Number) दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें क्योंकि यह आगे की चयन प्रक्रिया और RRC के साथ पत्राचार के लिए आवश्यक होगी।

नोट-I: अंतिम समय में वेबसाइट जाम से बचने के लिए, उम्मीदवारों को स्वहित में शीघ्रतिशीघ्र अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है ऐसा न करने पर, इंटरनेट पर अधिक लोड या वेबसाइट जाम की वजह से उम्मीदवार आवेदन करने में असमर्थ हो सकते हैं।

नोट-II: आरआरसी उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

6. क्लस्टर का चयन:

उम्मीदवारों को केवल एक क्लस्टर चुनना होगा।

उम्मीदवार उसी क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले इकाइयों के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं, जो उनके चुने हुए भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

क्लस्टर और यूनिट्स निम्नलिखित हैं:

क्लस्टर
मुंबई
भुसावल
पुणे
सोलपुर

नोट : कृपया नीचे दिए गए आईटीआई ट्रेड के अनुसार उपलब्ध ट्रेनिंग स्लॉट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी अनुसार क्लस्टर और इकाइयों का चयन करें। ऐसा न हो कि आप किसी ऐसे क्लस्टर या इकाई का चयन कर लें जहाँ आपके ट्रेड के लिए कोई ट्रेनिंग स्लॉट नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन निरर्थक हो सकता है क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएँगे। साथ ही, आप बाद में कोई अन्य आवेदन या एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते। यदि ऐसा पाया गया तो आपके सभी आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएँगे।

7. अप्रेंटिस निम्नलिखित ट्रेड्स में नियुक्त किए जाएँगे:

यूनिट	ट्रेडों	UR	OBC	SC	ST	TL	OH	VH	HH	MD	Ex.	ITI pass in trade to be eligible for consideration	Training Period
मुंबई	आशुलिपिक	14	8	4	2	28	1	1			2	आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिंदी शॉर्टहैंड)	1 वर्ष
भुसावल	आशुलिपिक	3	1	1	0	5						आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिंदी शॉर्टहैंड)	1 वर्ष
पुणे	आशुलिपिक	2	1	0	0	3						आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिंदी शॉर्टहैंड)	1 वर्ष
सोलापुर	आशुलिपिक	1	0	0	0	1						आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिंदी शॉर्टहैंड)	1 वर्ष
	फिटर (इंजीनियरिंग)	2	0	0	0	2						फिटर (इंजीनियरिंग)	1 वर्ष
	राजमिस्त्री	2	1	0	0	3						राजमिस्त्री	1 वर्ष
	मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी	5	3	1	0	9						मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी	1 वर्ष
	कुल	29	14	6	2	51	1	1	0	0	2		

नोट:

PwBD का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति और Ex. का अर्थ है पूर्व सैनिक।-PwBD और पूर्वसैनिकों की सीटें - उपरोक्त तालिकाओं में अलग नहीं हैं, बल्कि कुल सीटों में शामिल हैं। इस अधिसूचना में दिखाए गए प्रशिक्षण स्लॉट अस्थायी हैं और चयन के अंतिम रूप में प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ या घट सकते हैं।

यदि निर्धारित संख्या में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। ST स्लॉट के लिए, यदि ST उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें SC उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यदि SC/ST उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण स्लॉट को उपरोक्त तरीके से भी नहीं भरा जा सकता है, तो खाली पड़े प्रशिक्षण स्लॉट को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं बल्कि अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इसी तरह, यदि ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों द्वारा खाली पड़ी सीटें भरी नहीं जा सकती हैं, तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

8. पात्रता शर्तें

8.1 उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 10-03-2026 तक 24 वर्ष पूरी नहीं हुई होनी चाहिए।

8.2 अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

अलग-अलग समुदायों के अनुसार, पात्र जन्मतिथि सीमा निम्नानुसार होगी:

समुदाय	उम्मीदवार का जन्म निम्नलिखित तिथियों के बीच होना चाहिए (दोनों तिथियां शामिल)
UR	10/03/2002 to 10/03/2011
SC	10/03/1997 to 10/03/2011
ST	10/03/1997 to 10/03/2011
OBC	10/03/1999 to 10/03/2011

8.3 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

8.4 पूर्व सैनिकों के लिए, ऊपरी आयु सीमा को 10 वर्षों तक अतिरिक्त रूप से छूट दी जा सकती है, जो रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि + 3 वर्षों के बराबर होगी, बशर्ते कि उन्होंने लगातार न्यूनतम 6 महीने की सेवा प्रदान की हो। हालांकि, चाहे कोई भी समुदाय हो, पूर्व सैनिकों को केवल उपलब्ध पूर्व सैनिक कोटे के तहत ही माना जाएगा। यदि सामान्य वर्ग (UR) की रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल उस समुदाय के पूर्व सैनिकों को जिनके लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं, पूर्व सैनिक कोटे के तहत माना जाएगा।

8.5 SC/ST आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को अपना जाति प्रमाण पत्र केवल अनुलग्नक -I के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रारूप पर, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा। इसी तरह, OBC आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को 01/04/2025 के बाद जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार के प्रारूप पर अपलोड करना होगा। ये प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं।

8.6 जो उम्मीदवार पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बल कर्मियों के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सेवा समाप्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। पूर्व सैनिकों के बच्चों और सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों के मामले में, उन्हें अपने माता-पिता का सेवा समाप्ति प्रमाण पत्र या सशस्त्र बल सेवा प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो) ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा।

9. पूर्व सैनिक

9.1 पूर्व सैनिक उम्मीदवार जो उनके लिए प्रदान किए गए आरक्षण के तहत चयनित होते हैं, उन्हें उनके संबंधित श्रेणी यानी सामान्य (UR)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में रखा जाएगा। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बल

कर्मियों के बच्चों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिसशिप के लिए नामांकित किया जाएगा:

a) शांति काल में मारे गए अक्षम हुए पूर्व सैनिकों के बच्चे/, जिनमें दिवंगत अक्षम पूर्व सैनिक / शामिल हैं।

b) पूर्व सैनिकों के बच्चे।

c) सेवा में कार्यरत जवानों के बच्चे।

d) सेवा में कार्यरत अधिकारियों के बच्चे।

e) पूर्व सैनिक।

10. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ ही उसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) द्वारा जारी अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

11. शुल्क भुगतान

11.1 आवेदन शुल्क- ₹100/-

11.2 . शुल्क भुगतान प्रक्रिया - शुल्क भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना आवश्यक है, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार:

- जब ऑनलाइन आवेदन RRC/CR की वेबसाइट www.rrccr.com पर सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, तो उम्मीदवारों को वेबसाइट के भुगतान गेटवे पर भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- जब भुगतान सफलतापूर्वक किया जाता है, तो उम्मीदवारों को RRC/CR की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां वे आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- यदि उम्मीदवार भुगतान करने का प्रयास कर चुके हैं और इंटरनेट कनेक्शन खोने जैसी समस्याओं का सामना कर चुके हैं जिससे उनके खाते / डेबिट / क्रेडिट कार्ड से राशि कट गई है, लेकिन फिर भी वे आवेदन डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें "भुगतान सत्यापित करें" बटन पर क्लिक करके भुगतान गेटवे से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।

11.3 आवेदन पत्र के विवरणों की सही सुनिश्चितता के बाद ही उम्मीदवारों को भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इसके बाद कोई बदलाव / संपादन की अनुमति नहीं होगी।

11.4 भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, तो उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

11.5 लेन-देन की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, उम्मीदवार द्वारा प्रविष्टि की गई तिथि के साथ ई-रसीद उत्पन्न होगी, जिसे उम्मीदवार को प्रिंट करके सुरक्षित रखना चाहिए।

11.6 यदि ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया फिर से लॉगिन करें और ऑनलाइन भुगतान करें।

11.7 SC/ST/PWD/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क भुगतान आवश्यक नहीं है।

12. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा मानक (Standards of Fitness for the Person with Disability):

12.1 केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो:

- लुकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी (OH)से पीड़ित हों और उनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो, श्रवण बाधित (HH) हों और बेहतर कान में 60 डेसीबल या उससे अधिक सुनने की कमी हो, दृष्टिबाधित (VH - लो विजन) हों।

12.2 लोको मोटर या सेरेब्रल पाल्सी (OH) के लिए:

ट्रेड	PwBD उपयुक्तता	स्वीकृत दिव्यांगता की स्थिति
आशुलिपिक	LD, LD(LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM	मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम या दोनों में खराबी के कारण किसी व्यक्ति का खुद को और चीजों को हिलाने/डुलाने से जुड़ी - खास एक्टिविटीज़ को करने में असमर्थ होना।
फिटर (इंजीनियरिंग)	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF	एक तरफ से थोड़ा डैमेज हुआ निचला अंग उसे रखा जा सकता है।
राजमिस्त्री	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD	
मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH	सिर्फ एक निचला अंग जो थोड़ा काम कर रहा है, उसे ही रखा जा सकता है। हर हाथ की छोटी उंगली जो खराब हो, उसे रखा जा सकता है।

12.3 दृश्य बाधित (VH) उम्मीदवारों के लिए, VH (LV) विकलांगता की परिभाषा निम्नलिखित होगी: VH (कम दृष्टि): यह स्थिति होती है जब व्यक्ति की दृष्टि उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी खराब होती है, लेकिन वह उपयुक्त सहायक उपकरण की मदद से कार्य की योजना बनाने या निष्पादित करने के लिए दृष्टि का उपयोग कर सकता है।

12.4 जो दिव्यांगता (PwBD) उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी (अर्थात केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ शामिल हो) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र संलग्नक-III / IV / V / VI के अनुसार होना आवश्यक है।

12.5 उपरोक्त उल्लिखित दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवार PwBD के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं और वे इस प्रकार की रियायतों / सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. आवेदन कैसे करें:

13.1 उम्मीदवारों को www.rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

13.2 उम्मीदवारों को RRC/CR वेबसाइट www.rrccr.com पर लॉग इन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण/बायोडेटा आदि को सावधानीपूर्वक भरना होगा।

नोट-I: उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है और उन्होंने आधार के लिए पंजीकरण कराया है लेकिन अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे अपने आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं।

यह प्रावधान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए लागू है, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम को छोड़कर।

इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या, वैध पासपोर्ट संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड या उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

नोट-II: उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल वही हो जैसा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान कोई भी भिन्नता पाए जाने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट-III: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करें और पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखें। सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/SMS के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिन्हें पढ़ा हुआ माना जाएगा।

13.3 उम्मीदवारों को केवल एक क्लस्टर चुनना होगा और उस क्लस्टर के अंतर्गत वे अपनी इच्छानुसार इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

13.4 जो उम्मीदवार नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (चेहरा)/शैक्षिक और/या तकनीकी योग्यता आदि या अलग-अलग ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके सभी आवेदन बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

13.5 उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट रखना आवश्यक है। यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. स्कैन किया हुआ फोटो / सॉफ्ट कॉपी फोटो:

14.1 उम्मीदवारों को अपनी रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं, रंगीन, JPG/JPEG प्रारूप, 100 DPI, फ़ाइल का आकार 20kb-70kb के बीच) अपलोड करनी आवश्यक है। फोटो में उम्मीदवार की बिना टोपी और बिना धूप के चश्मे के, स्पष्ट सामने से छवि दिखना चाहिए, । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि RRC किसी भी चरण में पुराने/अस्पष्ट फोटो अपलोड करने या अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक उपस्थिति में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण आवेदन अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करने के लिए अपने फोटो की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें।

15. स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर / सॉफ्ट कॉपी हस्ताक्षर

उम्मीदवारों को अपना हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, JPG/JPEG प्रारूप, 100 DPI, फ़ाइल का आकार 20kb - 30kb के बीच) अपलोड करना आवश्यक है।

16. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ :

उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है :

16.1 एसएससी (कक्षा 10वीं) या इसके समकक्ष अंक तालिका।

16.2 जन्म तिथि के प्रमाण हेतु प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या अंक तालिका जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या जन्म तिथि का उल्लेख करने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

16.3 संबंधित ट्रेड की सभी सेमेस्टर्स की समेकित अंक तालिका / प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसमें अंक दर्शाए गए हों।

16.4 एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र या एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी प्रोविजनल राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र।

16.5 एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो), जैसा कि ऊपर पैरा 8.5 में उल्लेख किया गया है।

16.6 दिव्यांगता प्रमाणपत्र (PwBD उम्मीदवार के मामले में)।

16.7 सेवा मुक्त प्रमाणपत्र / सेवा प्रमाणपत्र (पूर्व सैनिक कोटे के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए)।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दस्तावेज़ सत्यापन के दिन मूल दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिना इसके उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी प्रमाणपत्र के साथ हिंदी/अंग्रेजी में प्रमाणित अनुवाद संलग्न करना आवश्यक है।

16.8 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दस्तावेज़ सही प्रारूप में अपलोड किए गए हों। यदि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ सही प्रारूप में नहीं हैं या अमान्य हैं, तो इस संबंध में कोई पत्राचार/शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस संबंध में डिजीजन/यूनिट का निर्णय अंतिम होगा।

17. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

17.1 ऑनलाइन आवेदन, सभी प्रकार से पूर्ण, आरआरसी को 09/04/2026 शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भेजा भी गया हो, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. प्रशिक्षण अवधि और वजीफा:

18.1 सभी ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण अवधि 01 वर्ष होगी तथा रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

18.2 अधिनियम अप्रेंटिस को आरबीई सं.116/2025 दिनांक 11/11/2025 के अनुसार निम्नानुसार वजीफा दिया जाएगा:

i. राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक – ₹9600 प्रति माह

18.3 Apprentice Act 1961 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई हॉस्टल सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी और स्वयं रहने की व्यवस्था करनी होगी। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

19. प्रशिक्षण अनुबंध (AGREEMENT OF TRAINING):

19.1 नामित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों के साथ एक प्रशिक्षण अनुबंध (Contract of Apprenticeship Training) करना होगा।

19.2 यदि अप्रेंटिसशिप अनुबंध Apprenticeship Rules 1992 के अनुसार नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों के पालन में विफलता के कारण समाप्त होता है, तो उम्मीदवार को निर्धारित अप्रेंटिस मुआवजा दिया जाएगा।

19.3 यदि Apprenticeship Rules 1992 के अनुसार अनुबंध की शर्तों के पालन में अप्रेंटिस की विफलता के कारण अनुबंध समय से पहले समाप्त होता है, तो उम्मीदवार/गारंटर को प्रशिक्षकों की लागत के रूप में वह राशि चुकानी होगी, जो अप्रेंटिसशिप सलाहकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

19.4 यह नियोक्ता की कोई बाध्यता नहीं है कि वह प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अप्रेंटिस को रोजगार दे। इसी प्रकार अप्रेंटिस के लिए भी यह बाध्यता नहीं है कि वह नियोक्ता के यहाँ कार्य स्वीकार करे।

19.5 यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिस अनुबंध करना होगा।

20. मेडिकल फिटनेस (MEDICAL FITNESS)

20.1 रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(MPP)/2009/6/14 दिनांक 04/12/2018 के अनुसार, दस्तावेज़ सत्यापन के समय अधिसूचना के साथ संलग्न 'अनुबंध VII' (Annexure VII) के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है। चिकित्सा प्रमाणपत्र किसी सरकारी अधिकृत चिकित्सक (गजेटेड), जो केंद्रीय/राज्य अस्पताल में सहायक सर्जन या उससे ऊपर के पद पर हो, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस प्रमाणपत्र के बिना दस्तावेज़ सत्यापन नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

21. हेल्प डेस्क (HELP DESK)

21.1 ऑनलाइन आवेदन जमा करने या प्रिंट करने में किसी भी समस्या के लिए ईमेल करें: helpdesk.rrc.cr@gmail.com

22. महत्वपूर्ण निर्देश (IMPORTANT INSTRUCTIONS)

22.1 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति और चयन की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

22.2 रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रेलवे में स्थायी नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। Apprenticeship Rules, 1991 के अनुसूची V के पैरा 10 के अनुसार, यह नियोक्ता की बाध्यता नहीं है कि वह अप्रेंटिस को प्रशिक्षण अर्वाधि पूर्ण होने पर रोजगार दे। इसी प्रकार अप्रेंटिस के लिए भी यह बाध्यता नहीं है कि वह नियोक्ता के यहाँ कार्य स्वीकार करे। रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त करने से उम्मीदवारों को रेलवे में समावेशन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

22.3 नियुक्ति के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22.4 किसी भी प्रकार की सिफारिश/प्रभाव (कैनवासिंग) करने से उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22.5 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि गलती से किसी अपात्र उम्मीदवार को नियुक्त किया जाता है, तो उसे किसी भी चरण में बिना किसी नोटिस के बर्खास्त किया जा सकता है।

22.6 यदि उम्मीदवार सत्यापन के समय आवश्यक मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या कोई अन्य विसंगति पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

22.7 यदि रेलवे प्रशासन को यह पता चलता है कि आवेदक ने गलत/फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो रेलवे प्रशासन को प्रशिक्षण के लिए चयन के बाद भी, बिना किसी नोटिस के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवार को बर्खास्त करने का अधिकार है।

22.7 रेलवे प्रशासन चयनित या न बुलाए गए उम्मीदवारों को उत्तर देने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन को कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

22.8 रेलवे प्रशासन किसी भी मुद्रण त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

22.9 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

22.10 उम्मीदवारों को आवेदन की प्रिंट कॉपी या कोई प्रमाणपत्र डाक द्वारा RRC को भेजने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा।

22.11 चयन के बाद डिवीजन/यूनिट बदलने के लिए उम्मीदवार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22.12 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेलवे को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया ऑनलाइन भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में धनवापसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन को उलटने का प्रयास करता है, तो आवेदन वापस लिया हुआ माना जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

22.13 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

अध्यक्ष / आरआरसी
मध्य रेलवे